न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2014/00353(20/2014) 225 आरटीएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– अपीलान्ट

बनाम

दुलीचन्द पुत्र श्री गणेशाराम जाति सुथार साकिन हरदासवाली तह. रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, रावतसर, दिनांक 17.05.2013

प्रकरण संख्या 344/2008 बअनवानी दुलीचन्द बनाम राज. सरकार

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय

दिनांक – 11.10.2022

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्री–55 के आरजी काश्तकारान की सूची में दुलीचन्द के नाम हरदासवाली में प. नं. 133/21 की कुल 2बीघा भूमि आरजी काश्त 1955 से पूर्व की दर्ज कागजात होने एवं जिला कलक्टर के निर्देशानुसार प्री–55 के समस्त काश्तकारान कोआरटीएक्ट की धारा 15 एएए (3) 2 क के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने के निर्देश होने के आधार पर आवश्यक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु रेस्पो0 को नोटिस जारी कर आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2008 को राजस्व कैम्प 99 आर.डी. में प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई एवं दिनांक 17.05.2013 को अपीलाधीन आदेशके द्वारा विवादित भूमि पर रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट भू धारक एवं प्रकरणमें आवश्यक पक्षकार एवं अहम जवाबदेही रखता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पक्षकार तो बनाया है परन्तु साक्ष्य सुनवाई हेतु किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाण्ट के नाम से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। पत्रावली में अपीलाण्ट के नाम से जारी कोई नोटिस नहीं है। आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। जिस भूमि की रेस्पो0 को खतोदारी प्रदान की है वह भूमि सं0 2012 से पूर्व रेस्पो0 अथवा उनके पूर्वज के लगातार कब्जे मेंहोनी सिद्ध नहीं होती है। खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं लगातार खसरा गिरदावरी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।इसलिए बिनाकिसी साक्ष्य के रेस्पो0 को खातेदारी गलत दी है। भूमि के प्री–55 के होने सम्बन्धित कोई साक्ष्य नहीं था ना ही रेस्पो0 का लगतार काबिज होने का कोई सबूत था। सीलिंग सीमा की जांच नहीं की गई। निर्णय होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली विधिक परीक्षण हेतु श्रीमान जिला कलक्टर के पास चली गई थी उनक पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलाण्ट कोअपीलाधीन निर्णय का

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (र.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ज्ञान था रिपोर्ट प्रेषित की है। रिपोर्ट पेश करने के कारण अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान रहा है। प्रश्नगत भूमि प्री–55 की भूमि है और लगातार रेस्पो0 के कब्जा काश्त में है। भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जांच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत भूमि के राजस्थान कातश्कारी अधिनिमय 1955 की धारा 15एएए (3) के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश पारित किये हैं। धारा 15एएए (3) के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने लिए सीलिंग सीमा की जांचे संवत 2012 से प्रश्नगत भूमि का कब्जा काश्त की स्थिति देखी जानी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली प्रश्नगत भूमि की गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसके कारण कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त की स्थिति साक्ष्य से स्पष्ट की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.X.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

11/X/22

(करतार सिंह पूनियाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)